उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी

5, सर्वपल्ली, माल एवेन्यू रोड, लखनऊ – 226001

हेल्पलाइन नम्बर : 8400955546, 9151024463

Website:www.upsmfac.org Email-upmedicalfaculty@upsmfac.org

पत्रांक संख्या–8610/24 दिनांक 27.08.24

वेबसाइट / ई–मेल माध्यम

सेवा में,

प्रबन्धक / प्रधानाचार्य,
समस्त संबंधित आवेदित नर्सिंग / पैरामेडिकल प्रशिक्षण केन्द्र (निजी क्षेत्र)
(ए0एन0एम0 पाठ्यक्रम को छोडकर)
उत्तर प्रदेश।

विषय–स्थलीय निरीक्षण कराये जाने के संबंध में।

महोदय / महोदया,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय के पत्र संख्या–6418 / 24 दिनॉक 28.06.2024 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त के संबंध में सूचित करना है कि स्थलीय निरीक्षण हेतु क्यू0सी0आई0 को उपलब्ध करायी गयी अर्ह संस्थानों की सूची में से जिन संस्थानों का स्थलीय निरीक्षण अभी तक नहीं हुआ है उन संस्थानों का स्थलीय निरीक्षण 14.09.2024 तक कार्यालय पत्र संख्या–6418 / 24 दिनॉक 28.06.2024 में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार सम्पादित किया जायेगा।

भवदीय,

सचिव,
उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी।

पत्र संख्या– दिनॉक –

प्रतिलिपि–महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव,
उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी।

उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी

5, सर्वपल्ली, माल एवेन्यू रोड, लखनऊ – 226001

हेल्पलाइन नम्बर : 8400955546, 9151024463

Website:www.upsmfac.org Email-upmedicalfaculty@upsmfac.org

पत्रांक संख्या–6418/24 दिनांक 28/06/24

ई–मेल माध्यम

सेवा में,

प्रबन्धक / प्रधानाचार्य,
समस्त आवेदित नर्सिंग / पैरामेडिकल प्रशिक्षण केन्द्र (निजी क्षेत्र)
(ए0एन0एम0 पाठ्यक्रम को छोड़कर)
उत्तर प्रदेश।

विषय–स्थलीय निरीक्षण कराये जाने के संबंध में।

महोदय / महोदया,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में आपको अवगत कराना है कि **दिनॉक 22.07.2024 से 31.08.2024** के मध्य किसी भी कार्य दिवस (रविवार एवं राजपत्रित अवकाश को छोडकर) में आप द्वारा आवेदित पाठ्यक्रम (ए0एन0एम0 पाठ्यक्रम को छोड़कर) की एन0ओ0सी0 हेतु आपके प्रशिक्षण केन्द्र का स्थलीय निरीक्षण इण्डियन नर्सिंग कौंसिल, नई दिल्ली / उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी के द्वारा निर्धारित मानकों पर क्यू0सी0आई0 (Quality Council of India) के माध्यम से कराया जायेगा।

यदि संस्थान अपने आवेदित पाठ्यक्रम का निरीक्षण उक्त निरीक्षण प्रक्रिया में नहीं कराना चाहते है तो **दिनॉक 10.07.2024** तक कार्यालय को सूचित करना सुनिश्चित करें। क्योंकि निरीक्षण दल के पहुँचने पर यदि आप द्वारा निरीक्षण नहीं कराया जाता है तो उसको एक निरीक्षण माना जायेगा।

यदि आप द्वारा निरीक्षण प्रक्रिया में निरीक्षकों को सहयोग नहीं दिया जाता है तो आपके प्रशिक्षण केन्द्र का निरीक्षण निरस्त करते हुये संस्थान के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी एवं इसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा। अतः आपसे अनुरोध है कि निरीक्षण दल को पूर्ण सहयोग देते हुये आवेदित पाठ्यक्रमों हेतु निरीक्षण प्रक्रिया को सम्पन्न कराना सुनिश्चित करें।

आप द्वारा आवेदित पाठ्यक्रम के निरीक्षण संबंधित वांछित प्रपत्रों की सूची (Check-List) पत्र के साथ संलग्न कर आपको इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सूची में उल्लिखित प्रपत्रों को पूर्व से ही तैयार कराकर रखे एवं निरीक्षण के समय निरीक्षण दल को मूल रूप से अवलोकित कराने का कष्ट करें।

किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में आप कार्यालय की ई–मेल आई0डी0 affiliation@upsmfac.org पर सम्पर्क कर सकते है।

भवदीय,

सचिव,
उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी।

पत्र संख्या– दिनॉक –

प्रतिलिपि–महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव,
उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी।